

(21223)

LL. B.-I Sem.

11202

LL. B. Examination, December-2023

LAW-III

Law of Torts and Consumer Protection Law

(K-1003)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100

Note : Attempt all the sections as per instructions.

नोट : सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

Section-A

(खण्ड-अ)

(Very Short Answer Questions)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt all questions of this section. Each question carries 4 marks. 5×4=20

नोट : इस खण्ड के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है।

1. Define Tort and point out its main characteristics.
अपकृत्य को परिभाषित कर, उसकी मुख्य विशेषताओं को इंगित करें।
2. Explain "Res Ipsa Loquitor".
"घटना स्वयं बोलती है" के अर्थ को समझाइए।

11202

[P.T.O.]

3. What is meant by "Deficiency in Service"?
"सेवा में कमी" से क्या तात्पर्य है?
4. What is meant by "Innuendo"? Explain by giving examples.
"वक्रोक्ति" से क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट करें।
5. Give reasons for award of unliquidated damages in Torts.
अपकृत्य विधि के अन्तर्गत 'अनिर्धारित क्षति' क्यों प्रदान की जाती है? सकारण बताइए।

Section-B

(खण्ड-ब)

(Short Answer Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any two questions. 2×10=20

नोट : किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

6. Explain and distinguish between 'Contract of Service' and 'Contract for Service' citing suitable examples.
'सेवा संविदा' तथा 'सेवा के लिए संविदा' की व्याख्या तथा उनमें अंतर उदाहरण देते हुए करें।
7. Briefly explain the maxim "Injuria Sine Damnum" with the help of relevant decided case-laws.
"बिना हानि के क्षति" सिद्धान्त को संक्षेप में समुचित निर्णीत वादों का उल्लेख करते हुए समझाइए।

11202

(3)

8. Discuss 'Vicarious Liability' with reference to Master-Servant-relation.

“मालिक एवं नौकर” के संबंध को दृष्टिगत रखते हुए ‘प्रतिनिधिक दायित्व’ की विवेचना करें।

Section-C

(खण्ड-स)

(Long/Detail Answered Questions)

(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any 3 (three) questions: $3 \times 20 = 60$

नोट : किन्हीं 3 (तीन) प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

9. It is the 'Consent' which is the basis of doctrine of Volenti non fit Injuria and not knowledge of the risk."

Elucidate referring to relevant decided cases.

‘स्वतः स्वैच्छिक रूप से जोखिम लेने के सूत्र का आधार सहमति है न कि जोखिम का ज्ञान।’ निर्णीत वादों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करें।

10. What is meant by 'Joint-Tort-feasors'? Discuss the nature and extent of liability Joint-Tort-feasors citing relevant case-laws.

‘संयुक्त अपकृत्यकर्ता’ से क्या अभिप्राय है? संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के दायित्व की प्रकृति एवं विस्तार की विवेचना उपयुक्त निर्णीत वादों का उल्लेख करते हुए कीजिए।

(4)

11. Discuss the powers and Jurisdiction of District Consumer redressal forum.

जिला उपभोक्ता निवारण फोरम की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार की विवेचना करें।

12. In the light of Principle of Negligence discuss the concept of "Nervous Shock" referring to relevant decided case laws in support of your answer.

“उपेक्षा के सिद्धान्त” को दृष्टिगत रखते हुए “मानसिक आघात” की संकल्पना की विवेचना, उपयुक्त निर्णीत वादों का उल्लेख करते हुए कीजिए।

13. Define Defamation and point out its essentials. What defences are available to a tortfeasor in case of Defamation?

मानहानि को परिभाषित कर उसके आवश्यक तत्वों को इंगित करें। मानहानि करने वाले अपकृत्यकर्ता को अपने बचाव में क्या प्रतिरक्षाएं प्राप्त हैं?